भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2333
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के लिए एसओपी

2333. श्री गणेश सिंहः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नीट, सीटीईटी, यूजीसी-नेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों, प्रश्नपत्र लीक या प्रक्रियागत अनियमितताओं की घटनाओं को रोकने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त एसओपी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा परीक्षा केंद्रों की साइबर सुरक्षा निगरानी प्रणाली और परीक्षा-पूर्व गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में एसओपी के अंतर्गत तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कोई विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की स्थापना उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में की गई है। वर्ष 2018 में अपनी स्थापना के बाद से, एनटीए ने 5.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 250 से अधिक परीक्षाएँ सफलतापूर्वक संचालित की हैं। एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश/जेईई (एडवांस्ड) के लिए पात्रता निर्धारण हेतु जेईई (मुख्य), स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट (यूजी), केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य सहभागी संस्थाओं में क्रमशः अवर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीयूईटी (यूजी) और सीयूईटी (पीजी), कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता के लिए यूजीसी-नेट/सहायक प्रोफेसरों/पीएचडी प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षा आदि शामिल हैं।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राष्ट्रीय साझा प्रवेश परीक्षा (एनसीईटी) में सुधार की सिफ़ारिश की, जिसमें एनटीए को सुदृढ़ बनाना, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध बनाना, ज्ञान और परीक्षा के भागीदार के रूप में परीक्षा इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि शामिल हैं। एचएलसीई ने पेन और पेपर परीक्षा (पीपीटी) और कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) दोनों परीक्षाओं में उल्लंघनों को रोकने के लिए उपाय भी निर्धारित किए हैं और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की सिफ़ारिश की है। समिति की रिपोर्ट यहाँ देखी जा सकती है:
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/HLCE_Report.pdf

एनटीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।

****